न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2020 (2020/00205)

1. रामेश्वर पुत्र सुवालाल शर्मा उम 65 साल
2. रामलाल पुत्र सुवालाल शर्मा उम 56 साल
3. लक्ष्मण पुत्र सुवालाल शर्मा उम 49 साल

निवासीगण मानखण्ड तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान –अप्रार्थी
2. कानी पुत्री सुवालाल शर्मा
3. गीता पुत्री सुवालाल शर्मा
4. सीता पुत्री सुवालाल शर्मा
5. हगामी देवी पत्नि सुवालाल शर्मा निवासीगण मानखण्ड तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रफार्मा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील– प्रार्थी
2. तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 02.03.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मानखण्ड तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
412–466	1579	0.01	गै.मु.चाह
	1590	0.01	गै.मु.चाह
	1591	0.30	चाही 1,जाव 1
	1593	0.01	गै.मु.चाह
	1594	0.01	गै.मु.चाह
	1595	0.11	गै.मु.पाल
	1596	1.54	चाही 1, जाव 1
	1597	0.80	बारानी 2
	किता 08		
खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या		किस्म
411–465	1592	0.16	बारानी 2
	1602	[illegible]	बारानी 2
	1998	0.07	बारानी 1
	किता 03	1.33 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
रामेश्वर पुत्र सुखालाल बनाम तहसीलदार केकड़ी
प्रकरण संख्या 55/2020(2020/00205)
दिनांक २·७·२१

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफार्मा अप्रार्थीगण की एकमात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थी एवं अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है एवं न ही वास्ता सरोकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे जाने आने हेतु खसरा 1675 आम रास्ते मे से होकर सिवायचक खसरा नंबर 1581/3197 रकबा 0.18 किस्म गै.मु.मोरी,खसरा नंबर 1607/3198 रकबा 0.29 किस्म चाही 3,जाव 3,खसरा नंबर 1604 रकबा 0.28 किस्म बारानी 2एवं खसरा नंबर 1608 रकबा 0.14 किस्म बारानी 2 मे से होकर कदीमी रास्ता है, जिसमे मे होकर प्रार्थीगण व प्रफार्मा अप्रार्थीगण पूर्वजों के समय से जाना आना है। एवं उक्त चाहा गया रास्ता नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। अप्रार्थी जो कि लैण्ड लोर्ड होने के कारण प्रार्थीगण को दिनांक 06.07.2020 से ही उक्त कदीमी रास्ते को बंद कर एवं उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थीगण को आने जाने हेतु मना किया इससे प्रार्थीगण को आराजी को काश्त करने के लिए कृषि यंत्र ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि से कृषि उपज लाने एवं पशुओ वगैराह के आने जाने मे बाधा उत्पन्न होगी। वर्तमान मे अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को उक्त कदीमी रास्ते मे से होकर जाने आने से मना कर रहा है। प्रार्थी को उक्त एक मात्र रास्ते कदीमी रास्ता होने के कारण बहुत परेशानियो का सामना करना पड रहा है जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन किया जाना संभव नही है। प्रोफार्मा अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.2020 से ही उक्त कदीमी रास्ते को बंद करने की धमकिया देते हुए जाने आने हेतु मना कर रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.2020 को रास्ता अवरूद्ध नही करने सकरा नहीं करने एवं बैलगाडी ट्रैक्टर पशुओ आदि के जाने आने मे बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया तो कहा कि उक्त आराजी सरकारी है,जो अन्य सरकारी प्रयोजनार्थ काम मे ली जावेगी। अतः उकत कदीमी रास्ता अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किये जाने की स्थिति मे खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे भी रास्ते का इन्द्राज किया जावे, प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार केकड़ी से जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रेषित पत्र कमांक/कअ/राजस्व 2020/5575–87 दिनांक 28.07.2020 तथा पत्र कमांक/प.8(डी.सी. 1/भू.अ.)06/2020/5702–05 दिनांक 22.07.2020 के संदर्भ मे रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ. /2020/662 दिनांक 25.01.2021 पेश की,जॉच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मानखण्ड की खसरा नंबर 1602 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता ग्राम मानखण्ड के खसरा नंबर 1675 के पश्चात खसरा नंबर 1608,1607/3198,1604 से आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1675 मे उपलब्धहै।स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1675 के पश्चात खसरा नंबर 1608,1607/3198,1604 मे से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक रहेगा। रास्ता सिवायचक भूमि से चाहा गया है। सिवायचक भूमि से रास्ता दिया जाने पर प्रतिकर के रूप मे भूमि की राशि डी0एल0सी0की दुगनी 69586/– अक्षरे उन्नहत्तर हजार पॉच सौ छियासी रूपया मात्र जमा करवाने पर दिया जा सकता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। पटवारी मानखण्ड एवं [illegible] निरीक्षक मेवदाकलां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व जॉच रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस व पेश [illegible] दस्तावेजात एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पटवारी हल्का मानखण्ड एवं गिरदावर हल्का मेवदाकलां द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का विवेचन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः खसरा नंबर 1602 व अन्य (मानखण्ड)प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है मे स्वीकृत रास्ता ग्राम मानखण्ड के खसरा नंबर 1675 के पश्चात खसरा नंबर 1608,1607/3198,एवं 1604 से आवागमन कर रहा है, जो वर्तमान मे

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी
रामेश्वर पुत्र सुवालाल बनाम तहसीलदार केकडी
प्रकरण संख्या 55/2020(2020/00205)
दिनांक 03-09-2021

सेवायचक है तथा प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1675 मे उपलब्ध है। इन खसरा नंबरान मे से 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जाता है जो न खसरा नंबरान मे लम्बवत् रहेगा। स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 1675 के पश्चात खसरा नंबर 608 मे से 52X9 मीटर जिसकी डी0एल0सी दर 5762 रू की दुगनी राशि 11524, ख.नं. 607/3198 मे से 100X9 वर्गमीटर डी.एल.सी.16621रू की दुगनी राशि 33242रू ,खसरा नंबर 604 मे से 112X9 वर्गमीटर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 12410रू की दुगनी राशि 4820/–रू होती है। कुल राशि 69586/–रू होती है,जमा करवाने पर तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड मे इस भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे अंकन करे तथा तदानुसार नक्शा मे अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner